बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012 07 /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 21.05.15

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार,

विषयः- मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, मांग सं0 18, उपशीर्ष 0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, इकाई 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विपत्र कोड सं0 एन0 3456001020004 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए रुपये 5,28,75,000 (रुपये पॉच करोड़ अठाइस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष के अधीन वित्त विभाग के पत्रांक 396/वि0 दिनांक 24.04.2015, पत्रांक 3429/वि0 (02) दिनांक 01.04.2015 एवं 2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उक्त प्रावधानित राशि से आवश्यकतानुसार व्यय करने हेतु सभी जिला कार्यालयों को 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई में संलग्न तालिका के अनुसार कुल रुपये 5,28,75,000 (रुपये पॉच करोड़ अठाइस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के आवंटित करते हुए व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्त्ति योजना, मांग सं0-18 उपशीर्ष 0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0 एन0 3456001020004, गैर योजना इकाई 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगी ।

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालयों एवं प्रखण्ड आपूर्त्ति कार्यालयों को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 8025 दिनांक 21.05.2013 के द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा-निदेश तथा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है ।

d/sec5/budget15-16/allotment page no55

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे । इसके अतिरिक्त यदि राशि की आवश्यकता होगी तो उसके संबंध में मांग पत्र अविलंब विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि उसके लिए राशि की व्यवस्था की जा सके ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012- 07 /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 21.05.15
प्रतिलिपिः-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012- 07 /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 21.05.15
प्रतिलिपिः-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012- 07 /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 21.05.15
प्रतिलिपिः-सभी जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-24/2012- 07 /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 21.05.15
प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-05 (लेखा शाखा), एवं आई0 टी0 मैंनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।